DIGITAL SOVEREIGNTY law

एक और मुद्दा जो पूरी तरह दबाया जा रहा है आज भारत जिस डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, उसमें “डिजिटल स्वतंत्रता” (Digital Sovereignty) एक राष्ट्रीय सुरक्षा, नीति और आत्मनिर्भरता का विषय बन चुका है।

हाल ही में लागू हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट स्वागत योग्य कदम है, परंतु यह कानून सिर्फ व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और उपयोग तक सीमित है। यह उस व्यापक डिजिटल नियंत्रण और नीति-निर्माण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता जिसकी आज भारत को सख्त जरूरत है।

साफ़ शब्दों में कहें तो – DPDP Act “क्या डेटा इस्तेमाल हो सकता है और कैसे” इस पर ध्यान देता है, जबकि डिजिटल संप्रभुता कानून यह सुनिश्चित करता है कि “डेटा, तकनीक, और इंटरनेट से जुड़ा कोई भी नियंत्रण विदेशी हाथों में न रहे।”

देश आज़ाद है, लेकिन डेटा गुलाम है

हम सिर्फ़ user है मालिक नहीं , 140 करोड़ भारतीयों का डेटा, सिर्फ भारत के अधीन होना चाहिए!”

डिजिटल सुरक्षा = राष्ट्रीय सुरक्षा

हमको चाइये आजादी देश का डेटा देश के सर्वर पर रहे उसके लिए देश में यह क़ानून आना ही चाहिए

*Digital Sovereignty Law*

डिजिटल संप्रभुता कानून क्यों जरूरी है:

DPDP Act सीमित है – Sovereignty व्यापक है:

DPDP Act केवल व्यक्ति के डेटा की सुरक्षा करता है, लेकिन यह यह तय नहीं करता कि देश का डेटा भारत में ही संग्रहित हो, भारतीय कानूनों के अधीन हो, या भारतीय सर्वर पर रहे। यह काम केवल एक डिजिटल संप्रभुता कानून ही कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य:

आज जब साइबर जासूसी, विदेशी निगरानी और डेटा युद्ध एक वास्तविकता बन चुके हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत का संवेदनशील डेटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक सूचना विदेशी नियंत्रण में न जाए।

तकनीकी आत्मनिर्भरता और डिजिटल अर्थव्यवस्था की रक्षा:

अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ ने पहले ही डिजिटल संप्रभुता की दिशा में मजबूत क़दम उठाए हैं। भारत यदि सिर्फ उपयोगकर्ता बना रहा, और निर्माता नहीं बना, तो हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में सिर्फ उपभोग तक सिमट जाएगी।

कानूनी अधिकार और न्याय की चुनौती:

यदि कोई विदेशी कंपनी भारत के नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग करे, तो क्या भारत की अदालतों को उस पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है? वर्तमान कानूनी ढांचे में नहीं। डिजिटल संप्रभुता कानून से यह अधिकार सुनिश्चित हो सकता है।

नैतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा:

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी की सोच, भाषा, राजनीतिक विचार और सांस्कृतिक मूल्यों पर अप्रत्यक्ष विदेशी प्रभाव पड़ रहा है। यदि हमने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो यह "डिजिटल उपनिवेशवाद" का रूप ले सकता है।

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय को संसद में एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उठाएं और भारत सरकार से मांग करें कि एक स्पष्ट, सशक्त और राष्ट्रहितकारी डिजिटल संप्रभुता कानून लाया जाए जो:

भारत में डेटा स्टोरेज को अनिवार्य करे,

विदेशी डिजिटल कंपनियों को भारतीय नियमों के अधीन लाए,

भारत की नीतिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे,

और भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाए।

वरुण पारीक

जयपुर राजस्थान

9119224710